

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/7507

दिनांक - 27/12/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नारणाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1 भानाराम पुत्र भैराराम 2 उदाराम पुत्र नथाराम 3 जेताराम पुत्र गोमदाराम 4 नवल किशोर 5 निम्बाराम पिसरान नथाराम 6 किशनाराम पुत्र गोमदाराम 7 लाछीदेवी पत्नी गोमदाराम 8 लालाराम पुत्र नथाराम 9 हनुमानराम पुत्र मगाराम जाति जाट 10 उग्रसेन पुत्र गुणेशाराम 11 कंवराराम पुत्र खुमाणाराम 12 दउदेवी पत्नी खुमाणाराम 13 किशनाराम 14 हीराराम पिसरान गुणेशाराम जाति मेघवाल निवासी राऊजी की ढाणी 15 ओएनजीसी 16 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 393/2023

दिनांक- 10/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 374/263 रकबा 8.2960 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक 27/12/23

क्रमांक :- रीडर/2023/7508-11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नारणाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भानाराम पुत्र भैराराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक 27/12/23